छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | प्रथम सत्र | अंक-16

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 3, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या- 09 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री दलेश्वर साहू अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 24 तारांकित एवं 42 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न क्रमांक 05 पर चर्चा के दौरान श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए बहिर्गमन किया गया ।

3. पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य द्वारा सुकमा जिले में पुलिस फायरिंग से एक महिला की मौत होने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

4. पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने आसंदी का ध्यानाकर्षित किया कि शून्य काल जैसे महत्वपूर्ण विषय में मंत्री को कॉग्नीजेन्स लेना चाहिये परन्तु एक भी मंत्री कॉग्नीजेन्स लेने को तैयार नहीं । आसंदी से इस पर निर्देश जारी किया जाना चाहिये ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि माननीय सदस्यगण नये-नये हैं, इसलिए उनको यह जानकारी नहीं है, मगर पुराने जो माननीय मंत्रीगण हैं, उनसे अनुरोध है कि महत्वपूर्ण विषय पर जब चर्चा चल रही हो तो सदस्यों को पास में न बैठायें, चर्चा न करें अथवा उन्हें अपने कक्ष में बुला लें।

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, सदस्य ने सुकमा जिले में पुलिस फायरिंग से एक महिला की मौत संबंधी ध्यानाकर्षण पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि आज की कार्य-सूची में 14 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति दी गई ।)

(1) सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने प्रदेश में स्वाईन फ्लू की बीमारी से अनेक व्यक्तियों की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए।)

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने कोरबा जिले के एस.ई.सी.एल. की खदानों से कोयला चोरी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

6. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री डी.व्ही.सदानंद गौड़ा, मंत्री, भारत सरकार आज अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन उनका हार्दिक स्वागत करता है।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गये :-

उप पद क्रमांक	सदस्य
(3)	श्री धर्मजीत सिंह
(4)	श्री सौरभ सिंह
(7)	श्री सौरभ सिंह
(8)	श्री मोहन मरकाम
(10)	श्री सौरभ सिंह
(13)	श्री सौरभ सिंह

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) श्री शिवरतन शर्मा

(3) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

(4) श्री रेखचंद जैन

(5) श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुरोध पर उनके विभाग की अनुदान मांग के प्रारंभिक कथन को प्रस्तुत करने के लिए श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री को अनुमति प्रदान की है । मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

9.व्यवस्था का प्रश्न

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि क्या मंत्री की उपस्थिति में हम अधिकृत कर सकते हैं ? इसको भविष्य के लिए उदाहरण न माना जाए।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि माननीय कवासी लखमा जी के बारे में आप सभी सदस्य जानते हैं। विशेष परिस्थिति में मैंने श्री मोहम्मद अकबर को अनुमति दी है । वह भी प्रारम्भिक के लिए, अंतिम उत्तर वे ही देंगे और उदाहरण नहीं माना जाएगा, परम्परा नहीं मानी जायेगी ।

10. वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर मतदान

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-11 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-11 पर सर्वश्री अजय चंद्राकर, पुन्नूलाल मोहले, डॉ. रेणु अजीत जोगी, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी ।

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री दीपक बैज,

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सौरभ सिंह, संतराम नेताम, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी,

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री देवेन्द्र यादव, प्रमोद कुमार शर्मा, मोहन मरकाम

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा ।

श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. अशासकीय कार्य आगामी कार्य दिवस में लिया जाना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में शामिल अशासकीय संकल्प आगामी कार्य दिवस में लिये जायेंगे ।

अपराह्न 2.55 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार,दिनांक 25 फरवरी, 2019 (फाल्गुन-6, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा